अध्याय II
शुल्क छूट/माफी योजनाएं

2.1 सरकार अधिसूचना द्वारा निर्यात संवर्धन के अंतर्गत इनपुटों और पूँजीगत माल को आयात करने के लिए सीमाशुल्क में पूर्णतः या अंशतः छूट दे सकती है। ऐसी छूट प्राप्त माल के आयातकों को कुछ निर्यात दायित्वों (ईओ) को पूरा करने के साथ साथ विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन के लिए वचन देना होता है जिसमें विफल होने पर शुल्क की पूरी दर उद्ग्राह्य होती है। जुलाई 2007 से नवम्बर 2011 की अवधि से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच (जुलाई 2010 से फरवरी 2012) के दौरान कुछ निदर्शी मामले देखे गए जहां ईओज/शर्तों को पूरा किए बिना शुल्क छूट का लाभ उठाया गया था जिन पर निम्नांकित पैराग्राफों में चर्चा की गई है। इन मामलो में कुल राजस्व प्रभाव ₹ 20.48 करोड़ है।

अग्रिम लाइसेसिंग योजना

क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारी (आरएलए) बैंगलोर ने गैर मानक इनपुट आउटपुट प्रतिमान (सियोन) मद के लिए लाइसेंस जारी किया जिससे लाइसेंसधारी को ₹ 6.40 करोड़ का लाभ हुआ।

2.2 विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2004-09 का पैराग्राफ 4.1.3, इनपुटों के मुक्त आयात के लिए मानक इनपुट और आउटपुट (सियोन) प्रतिमान पर आधारित अग्रिम लाइसेंस जारी करने की अनुमति प्रदान करते समय जिसे निर्यात उत्पाद में भौतिक रूप से शामिल किया जाता है, महानिदेशक, विदेश व्यापार (डीजीएफटी) को सार्वजनिक सूचना के माध्यम से अग्रिम प्राधिकार के कार्यक्षेत्र से किसी उत्पाद (दों) को अलग करने का अधिकार प्रदान करता है। डीजीएफटी की सार्वजनिक सूचना सं. 31 दिनांक 14 दिसम्बर 2004 द्वारा उत्पाद ग्रुप-खाद्यान्न उत्पादों की क्र. सं. ई90 में प्रदर्शित सियोन प्रतिमान को हटा दिया गया है। डीजीएफटी ने उसी सार्वजनिक सूचना द्वारा पद्धति हस्तपुस्तिका (एचबीपी) खंड-1, 2004-09 के पैराग्राफ 4.7 में भी यह संशोधित कर दिया कि काली मिर्च के आयात के लिए अग्रिम लाईसेंस (स्वतः-घोषणा पर आधारित) दोनो में से कोई एक एचबीपी के पैराग्राफ 4.7 के अन्तर्गत जारी नहीं किया जाना चाहिए। अतः, काली मिर्च के आयात के लिए अग्रिम प्राधिकार जारी करने के लिए दोनो संभव विकल्पों को हटा दिया गया था। संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार ने नीति परिपत्र सं. 03/2005-09 दिनांक 21 अप्रैल 2005 द्वारा सियोन प्रतिमानों के क्रम सं. ई 90 के विलोपन को दोहराया।

2.3 क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारी (आरएलए), बैंगलोर ने संसाधित काली मिर्च के निर्यात के प्रति काली मिर्च के आयात के लिए प्राधिकृत करते हुए मै. एस ए रावथर स्पाईसेस प्राईवेट लि. बंगलोर को अग्रिम प्राधिकार (एए) जारी किया (मार्च 2007)। लाइसेंसधारी ने सीमाशुल्क हाउस, कोची के माध्यम से ₹ 80.99 करोड़ मूल्य का सीटीएच 09041140 के अंतर्गत आने वाले असंसाधित काली मिर्च की 23 खेपों का आयात

किया (मार्च और जुलाई 2007) और ₹ 6.40 करोड़ सीमाशुल्क का लाभ उठाया। आरएलए द्वारा लाइसेंस जारी करना और उसके बाद काली मिर्च का आयात करना अनियमित था क्योंकि लाइसेंस जारी करने के समय और आयात की तारीख तक भी काली मिर्च उपयोग एए के आयात पर प्रतिबंध लागू था। तद्नुसार, आयातक से ₹ 6.40 करोड़ के शुल्क की ब्याज सहित वसूली बनती थी।

2.4 सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क, कोची ने बताया (मई 2011) कि आरएलए, बैंगलोर द्वारा जारी किए गए अग्रिम लाइसेंस में संलग्न शर्त शीट के अनुसार आयात करने की अनुमति प्रदान की गई थी।

2.5 आरएलए, बंगलोर ने बताया (फरवरी 2012) कि सार्वजनिक सूचना सं. 63 दिनांक 28 मार्च 2005 के साथ पठित एचबीपी, 2009-14 के पैराग्राफ 4.7 के अनुसार लाइसेंस जारी किया गया था, जिसमे यह निर्धारित था कि एचबीपी 2009-14 के पैराग्राफ 4.7 के अंतर्गत मसाले के निर्यात के प्रति लाइसेंस जारी करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए यदि कोई प्रतिमान उपलब्ध नहीं है। लेकिन तात्कालिक मामले में, काली मिर्च का आयात करने के लिए सियोन ई-90 द्वारा संसाधित के आयात के प्रति प्रतिमान उपलब्ध था और इसलिए, उपरोक्त प्राधिकार जारी किया गया था।

2.6 आरएलए, बैंगलोर के जवाब पर इस तथ्य के मद्देनजर विचार किया जाना कि सियोन प्रतिमान ई-90, डीजीएफटी सार्वजनिक सुचना संख्या 31 दिनांक 14 दिसम्बर 2004 अर्थात मार्च 2007 में लाइसेंस जारी करने और 2007 में किए गए वास्तविक आयातों के पहले ही हटा दिया गया था। इसके अतिरिक्त, विभाग का जवाब सार्वजनिक सूचना सं. 63 दिनांक 28 मार्च 2005 मे जैसा परिकल्पित था के प्रतिकूल भी है, जिसमे स्पष्टतया यह कहा गया था कि आईटीसी (एचएस) का अध्याय 9 एवं 12 के अंतर्गत वर्गीकृत मसाले जिसका शुल्क 30 प्रतिशत से अधिक है और ऐसे प्रतिबंधित श्रेणी में आने वाले आयातित मद 'काली मिर्च' के लिए लाइसेंस जारी नही करना चाहिए।

2.7 वित्त मंत्रालय, ड्राबैक डिवीजन के प्राधिकरियों ने बताया (दिसम्बर 2012) कि सीमाशुल्क आयुक्त कोचिन ने आयातों हेतु अनुमति जेडीजीएफटी, बैंगलोर द्वारा जारी लाइसैंस के अनुसार दी थी। उसे लेखापरीक्षा आपत्ति के कारण बन्द नहीं किया गया था जिस डीईईसी बान्ड के तहत निकासियाँ की गई थीं तथा मामला जेडीजीएफटी बैंगलोर को भेज दिया गया है।

2.8 डीजीएफटी, दिल्ली ने बताया (दिसम्बर 2012) कि नीति में छूट देने वाली समिति ने जून 2012 में आयोजित अपनी बैठक (एनओसी/13 दिनांक 12 जून 2012) में मामले को नियमित कर दिया गया था क्योंकि फर्म ने आरए बैंगलोर द्वारा जारी प्राधिकार के अनुसार आयात किए थे। समिति ने पाया कि लाइसैंस जारी करते समय आरए ने इस तथ्य को नजर अन्दाज कर दिया था कि निबन्धन पहले से ही हटा दिए/निलबिंत कर दिए गए थे।

2.9 डीजीएफटी दिल्ली के उत्तर को इस तथ्य के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए कि आरए द्वारा लाइसैंस जारी करते समय विद्यमान निबन्धनों को नजर अन्दाज करने की कार्रवाई के परिणामस्वरूप लाइसैंस धारक को अनभिप्रेत लाभ हुआ। इस चूक के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है।

क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारी (आरएलए), चेन्नई ने आनियमित रूप से अग्रिम प्राधिकार को सम्मिलित कर दिया जिसके कारण लाइसेंसधारी को ₹ 43.72 लाख के शुल्क का लाभ हुआ।

2.10 पद्धति हस्तपुस्तिका (एचबीपी) खंड-I (2009-14) के पैराग्राफ 4.20.3 में वर्णित है कि एए धारक को आयात अथवा निर्यात करने के लिए आगे उपयोग के बिना प्रतिदान/नियमितिकरण करने हेतु प्राधिकार को सम्मिलित करने की सुविधा है। यह सुविधा केवल एए (एस) के लिए उपलब्ध है, जहां निर्यात दायित्व में कमी है जिसे एए (एस) के साथ सम्मिलित किए जाने की मांग की गई है और जो आयात करने के लिए वैघ है।

2.11 क्षेत्रीय संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार (आरएलए), चेन्नई ने लचीला मध्यवर्ती थोक कंटेनरों का निर्यात करने के लिए "पोलीप्रोपायलेन (पीपी) ग्रेन्यूल्स" के 2,65,785 कि.ग्रा. के शुल्क मुक्त आयात हेतु मै. विर्गो पोलिअर (इंडिया) लि. को अग्रिम प्राधिकार जारी किया (सितम्बर 2006)। प्राधिकारधारक ने जारी किए गए लाइसेंस (सितम्बर 2006) के प्रति निर्यात दायित्व में कमी को नियमित करने के लिए जुलाई और अक्टूबर 2006 में जारी किए गए तीन अन्य एएज के साथ इस प्राधिकार को सम्मिलित करने के लिए आवेदन किया (अप्रैल 2009) जिसमें दोनों आयातों और संगत अथवा अधिक निर्यातों को बनाया गया था। आरएलए ने उचित रूप से यह कहते हुए आवेदन को अस्वीकार कर दिया कि ईओ में कमी सहित सितम्बर 2006 में जारी किए गए प्राधिकार के साथ सम्मिलित किए जाने वाले तीन प्राधिकारों की मांग समाप्त हो गई थी और आवेदन की तारीख तक आयात करने के लिए वैघ नही थी। आरएलए ने सम्मिलित करने के लिए प्राधिकारधारक के बाद के अनुरोध (जुलाई 2010) को उसी कारण से अस्वीकार कर दिया (अगस्त 2010)। आरएलए ने एक बार फिर अप्रैल 2010 में जारी किए गए एक एए के साथ उपरोक्त चार एएज (जुलाई/सितम्बर/अक्टूबर 2006 में जारी किए गए) को सम्मिलित करने के लिए आवेदन किया (नवम्बर 2010) जो आयात के लिए वैघ था। आरएलए ने पहले तो उसी प्रकार पहले के आधार पर सम्मिलित करने को अस्वीकार कर दिया (नवम्बर 2010) लेकिन बाद में लाइसेंसधारियों के अभ्यावेदन पर अप्रैल 2010 में जारी किए गए के साथ सितम्बर 2006 में जारी किए गए एए को सम्मिलित करने के लिए प्रतिबंध के बजाए उसे सभी पाँच प्राधिकारों को अनुचित रूप से सम्मिलित और मुक्त कर दिया (जनवरी 2011) क्योंकि जुलाई और अक्टूबर 2006 में जारी किए गए अन्य तीन प्राधिकारों में कमी नहीं थी।

2.12 निर्यात दायित्व में कमी और प्रथम दृष्टांत में उचित रूप से अस्वीकृत सहित जुलाई/अक्टूबर 2006 में जारी किए गए 3 एएज सहित सभी 5 एएज को सम्मिलित करने में आरएलए की कार्रवाई के परिणामस्वरूप 2,43,265 कि.ग्रा. के अधिक आयात पर ₹ 43.72 लाख शुल्क की अदायगी नहीं हुई।

2.13 *डीजीएफटी, दिल्ली ने बताया (दिसम्बर 2012) कि चार प्राधिकार अप्रैल 2010 में जारी प्राधिकार जोकि एचबीपी के पैराग्राफ 4.20.3 के तहत आयात हेतु वैद्य था, के साथ मिला दिए गए थे। डीजीएफटी, दिल्ली के उत्तर पर इस तथ्य के मद्देनजर पर विचार किया जाना चाहिए कि अग्रिम प्राधिकार (प्राधिकारों) को आयात देयता में कमी को पूरा करने हेतु मिलाना अनुमत है। परन्तु इस मामले मे मिलाए गए चार अग्रिम प्राधिकारों में से तीन में आयात देयता पूरी होने में कोई कमी नहीं है। तदनुसार, ये तीन लाइसेंस नहीं मिलाए जाने चाहिए थे।*

क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारी (आरएलए), बैंगलोर द्वारा निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए दायित्व अवधि की समाप्ति के पश्चात किए गए निर्यातो को गिना।

2.14 विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2004-09 के पैराग्राफ 4.1.3 के अनुसार इनपुटों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति के लिए अग्रिम लाइसेंस जारी किया जाता है जिसे विनिर्दिष्ट निर्यात दायित्व (ईओ) की पूर्ति के अध्यधीन निर्यात उत्पाद में भौतिक रूप से शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त, पद्धति हस्तपुस्तिका (एचबीपी), खंड-I के पैराग्राफ 4.28 के अनुसार ईओ की पूर्ति में विफल होने पर लाइसेंसधारी अप्रयुक्त कच्चे माल पर ब्याज सहित सीमाशुल्क और शास्ति अदा करने का दायी था।

2.15 क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारी (आरएलए), बैंगलोर ने ₹ 3.16 करोड़ मूल्य के किसी ग्रेड (डुपियन यार्न से भिन्न) के शहतूत के कच्चे रेशम (एमआरएस) का 21600 कि.ग्रा. और डुपियन सिल्क यार्न के 7500 कि.ग्रा. का इस निर्धारण के साथ शुल्क मुक्त आयात करने के लिए मै. खोडे सिल्क ट्विस्टिंग फैक्टरी, बंगलोर को दो अग्रिम लाइसेंस इस शर्त पर जारी किए (दिसम्बर 2007) कि लाइसेंस जारी करने की तारीख से 36 महीने के अंदर (अर्थात दिसम्बर 2010 तक) ₹ 1.59 करोड़ मूल्य का 100 प्रतिशत प्राकृतिक रेशम कपड़े/शहतूत के कच्चे रेशम के धागे का 8093.25 कि.ग्रा और ₹ 1.95 करोड़ मूल्य का 100 प्रतिशत 'प्राकृतिक सिल्क कपड़े' का 13165 कि.ग्रा. निर्यात करें।

2.16 लाइसेंसधारी ने अक्टूबर 2008 से मई 2010 के दौरान सीमाशुल्क हाउस चेन्नई के माध्यम से ₹ 3.62 करोड़ मूल्य की कच्चे सामग्रियों का आयात किया था और ₹ 1.05 करोड़ का शुल्क छोड़ दिया गया था। हमने पाया कि 20474.09 कि.ग्रा. कपड़े/धागे के कुल निर्यात में से, लाइसेंसधारी ने दायित्व अवधि अर्थात दिसम्बर 2010 तक केवल 9628.52 कि.ग्रा. का निर्यात किया था और शेष 10845.57 कि.ग्रा. कपड़े/धागे का निर्यात 29 जून/7 जुलाई 2011 अर्थात दायित्व अवधि की समाप्ति के पश्चात किया गया था (दिसम्बर 2010)।

2.17 चूँकि लाइसेंसधारी निर्धारित ईओ पूरा करने में विफल रहा, उसके ऊपर ब्याज सहित ₹ 55.97 लाख के आनुपातिक सीमाशुल्क का भुगतान देय था।

2.18 *डीजीएफटी, दिल्ली ने माना कि फर्म ने आंशिक निर्यात प्राप्त किए थे तथा मामले को नियमित करने के निर्देश दिए गए थे।*

भारत सेवी योजना (एसएफआईएस)

आरएलए चेन्नई ने शुल्क क्रेडिट की मंजूरी हेतु अयोग्य सेवाओं से प्राप्तियों को स्वीकार किया।

2.19 टाटा कंसल्टेन्सी सर्विसेज बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2004 का एसटीसी भाग 137) के मामले में और बीएसएनएल बनाम भारतीय संघ एवं अन्य (2006 के एसटीसी भाग 145) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि कॉपीराइट या टाइटल का प्रयोग माल बिक्री अधिनियम के तहत् 'माल' के रूप में माना जाएगा। तद्नुसार, कॉपीराइट या टाइटल का प्रयोग करने से प्राप्त कमाई एसएफआईएस के तहत शुल्क क्रेडिट हेतु नहीं गिनी जाएगी।

2.20 क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण (आरएलए), चेन्नई ने मै. सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड, तथा मै. कालायंगनर टीवी प्राइवेट लिमिटेड को वर्ष 2009-10 के दौरान उनके द्वारा अर्जित ₹ 46.98 करोड़ तथा ₹ 3.55 करोड़ मुक्त विदेशी मुद्रा के 10 प्रतिशत क्रमशः ₹ 4.70 करोड़ तथा ₹ 0.35 करोड़ की शुल्क क्रेडिट की मंजूरी एसएफआईसी के तहत् दी (मई 2010)। शुल्क क्रेडिट उनके द्वारा विभिन्न विदेशी टीवी चैनलों से अर्जित लाइसेंस शुल्क हेतु मंजूर किया गया था। यह कमाई सीएफआईएस के तहत् शुल्क क्रेडिट हेतु संगणित नहीं की जा सकती क्योंकि यह टाइटल या कॉपीराइट के प्रयोग के अधिकार के हस्तांतरण से नहीं हुई थी और न ही किसी सेवा को प्रदान किए जाने के कारण। इससे ₹ 5.05 करोड़ की शुल्क क्रेडिट की गलत मंजूरी हुई जो ब्याज सहित वसूली योग्य थी।

2.21 *डीजीएफटी, दिल्ली ने कहा कि एफटीपी/एचबीपी में कोई शर्त नहीं है कि एसएफआईसी हकदारी की गणना करते समय कापी राइट को 'माल' के रूप में समीकृत किया जाना तथा गिना नहीं जाना चाहिए, डीजीएफटी, दिल्ली ने यह भी कहा कि सम्बन्धित पार्टियों ने टीवी चैनल होने के कारण भारत से दी गई सेवाओं के लिए एसएफआईएस का दावा किया।*

2.22 *उत्तर पर इस तथ्य के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए कि माल के आयात एसएफआईएस की हकदारी की गणना के लिए शामिल नहीं किए जाएगें। हालांकि कापीराइट को सर्वोच्च न्यायालय ने भी 'माल' के रूप में स्वीकृत किया है। इसके इलावा बैंक से जारी किए गए विदेशी आवक विप्रेषण प्रमाणपत्र से ज्ञात हुआ कि एफई की वसूली मीडिया के रूप में वीडियो कार्यक्रमों की आपूर्ति हेतु लाइसैंस फीस के रूप में हुई थी न कि कार्यक्रमों के सीधे प्रसारण के माध्यम से।*

विदेशी व्यापार के महानिदेशक नई दिल्ली से दिशा-निर्देशों के बावजूद संयुक्त महानिदेशक विदेशी व्यापार, चेन्नई संस्वीकृत दूर संचार क्षेत्र के एसएफआईएस मामलों की समीक्षा नहीं करते जो राजस्व भुगतान टालने का कारण बन सकता है।

2.23 महानिदेशक विदेश व्यापार वाणिज्य विभाग, नई दिल्ली ने दि. 15 जुलाई 2010 के अपने नीति परिपत्र सं. 38/2009-10 के माध्यम से सभी क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकरणों (आरएलए) को लाइसेंसधारी से जुलाई 2010 की नीति निर्धारण समिति (पीआईसी) की बैठक के निर्णय के आधार पर छः महीने के भीतर सभी पुराने संस्वीकृत दूर संचार क्षेत्र के एसएफआईएस मामलों की समीक्षा करने एवं वांछित सूचना मंगाने एवं उनकी हकदारी की पुनः गणना हेतु यदि कोई हो तो अधिक मंजूरी की वसूली करने का निर्देश दिया। यह समीक्षा जुलाई 2010 में जारी नीति परिपत्र की तिथि से छः महीनों के भीतर पूरी की जानी थी। प्रत्येक टेलीकॉम क्षेत्र आवेदक के लिए समीक्षा की प्रगति डीजीएफटी मुख्यालय को हर महीने सूचित की जानी थी।

2.24 संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार, चेन्नई ने मै. डिशनेट वायरलेस लिमिटेड; एसएफआईएस के तहत एक दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी को अप्रैल से अगस्त 2009 के दौरान अर्जित विदेशी मुद्रा के 10 प्रतिशत पर ₹ 2.14 करोड़ की शुल्क क्रेडिट की मंजूरी दी (जून 2010)। हमने पाया कि यद्यपि शुल्क पावती पत्र बताए गए परिपत्र से पहले जारी किया था तथा आरएलए, चेन्नई द्वारा जनवरी 2011 तक समीक्षा की जानी थी, किन्तु मई 2011 तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी। इस प्रकार, आरएलए द्वारा कार्रवाई न करने से एसएफआईएस क्रेडिट की अधिक मंजूरी के मामले में, यदि कोई हो, राजस्व अदायगी टाल दी गई।

2.25 *डीजीएफटी, दिल्ली ने बताया (फरवरी 2013) कि मै. डिशनेट वायरलैस लि. ने अपने उत्तर में मै. वोडाफोन एस्सार लि. द्वारा दायर 2010 की (समादेश याचिका सं. 2357) याचिका में बैंगलोर उच्च न्यायालय के निर्णय का उद्घृत किया है जिसमें डीजीएफटी के दिनांक 15 जुलाई 2010 के नीति परिपत्र को एफटीपी 2004-09 के प्रति विपरित मानते हुए अमान्य करार दिया है। फर्म ने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय के निर्णय में आन्तरिक राहत पाने की सरकार द्वारा की गई प्रार्थना 2011 की (सामान्य अपील संख्या 10117) को भी सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं माना। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2013)।*

विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना (वीकेजीयूवाई)।

क्षेत्रीय लाइसैसिंग प्राधिकारी (आरएलए) चेन्नै ने निर्यातक की स्थिति की जांच किए बिना ही वीकेजीयूवाई के तहत क्रेडिट अनुमत किया।

2.26 एफटीपी 2004-09 के पैरा 3.8.2 के अनुसार अधिसूचित उत्पादों के निर्यातक विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना (वीकेजीयूवाई) के अन्तर्गत निर्यात के एफओबी मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर शुल्क क्रेडिट शेयर के हकदार हैं। इसके अतिरिक्त, 1 अप्रैल 2008 से निर्यात किए गए फूलों, फलों और सब्जियों हेतु निर्यात के एफओबी मूल्य पर 5 प्रतिशत अनुमत के अलावा के 2.5 प्रतिशत के लिए अतिरिक्त शुल्क क्रेडिट

शेयर था। निर्यात उन्मुख इकाइयाँ (इओयू) जो प्रत्यक्षकर लाभ/छूट नहीं लेती वे भी एफटीपी के पैरा 3.8.2.1 के संबंध में वीकेजीयूवाई शुल्क क्रेडिट हेतु पात्र होंगी बशर्ते वे क्षेत्राधिकारी आयकर प्राधिकरण से छूट स्थिति के परिवर्तन के आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करें जिससे यह पता चले कि वे आगे से प्रत्यक्ष कर छूट का दावा नहीं करेंगी (डीजीएफटी के परिपत्र सं 56 (आरई-2008)/2004-09 दिनांक 21 जनवरी 2009)।

2.27 क्षेत्रीय लाइसेंसिग प्राधिकरण (आरएलए), चेन्नई ने मै. सुदर्शन ओवरसीज़ लिमिटेड, 100 प्रतिशत ईओयू को खजूर, अंजीर, आम और ताजे या सूखे आम के टीन (क्रमांक 13.10, परिशिष्ट 37 ए की तालिका 13) की 51 खेपों (जून 2008 से मार्च 2009) के निर्यात हेतु एफओबी मूल्य के 7.5 प्रतिशत की दर से दो वीकेजीयूवाई शेयर जारी किए (मई 2009)। इन दो शेयरो में कुल ₹ 92.66 लाख के शुल्क क्रेडिट की अनुमति दी गई। निर्यातक द्वारा दाखिल शिपिंग बिल के रूप में निर्यात योजना कोड '21' में ईओयू होने का स्पष्ट संकेत दिया लेकिन इकाई क्षेत्राधिकारी आयकर प्राधिकरण से छूट स्थिति के बदलाव संबंधी निर्धारित प्रत्यक्ष कर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाई। आरएलए चेन्नई भी ऐसे साक्ष्य मंगाकर निर्यातक की स्थिति सुनिश्चित करने में विफल रहा जो ईओयूज द्वारा वीकेजीयूवाई योजना के तहत शुल्क दावा करने हेतु पूर्व-निर्धारित है। इस त्रुटी से ₹ 92.66 लाख की गलत शुल्क क्रेडिट की मंजूरी दी गई, जिसकी इकाई से वसूली की जानी चाहिए।

2.28 जब हमने इसे इंगित किया (मई/जून 2011/मार्च 2012), विभाग से कोई उत्तर नहीं मिला। जबकि, अनुवर्ती लेखापरीक्षा सत्यापन करने पर यह देखा गया कि आवश्यक प्रत्यक्ष कर छूट प्रमाणपत्र जमा करने के लिए इकाई को आरएलए चेन्नई द्वारा जारी किए गए कई पत्र अप्राप्य वापस कर दिए गए। विभाग ने बाद में निर्यातक की आयात-निर्यात संहिता (आईईसी) निलंबित कर दी थी (सितम्बर 2011)।

2.29 सहायक महानिदेशक विदेश व्यापार, चेन्नई ने, इस दौरान अक्टूबर 2011 में पाया कि पूर्व कंपनी ने मै. रायलसीमा कमोडिटीज़ लिमिटेड, चेन्नई नाम से एक नई कंपनी बना ली थी और अपना पत्राचार पता बदलने का अनुरोध किया था। तद्नुसार, लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने नई कंपनी से पहले से जारी दो वीकेजीयूवाई शेयरों के संबंध में प्रत्यक्ष कर छूट प्रमाणपत्र की माँग की। सहायक महानिदेशक विदेश व्यापार, चेन्नै ने इकाई को ₹ 92.66 लाख का शुल्क क्रेडिट वापिस करने का निर्देश दिया (जनवरी 2012) क्योंकि यह आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रही। इकाई से कोई उत्तर नहीं मिला है (दिसम्बर 2012)।

2.30 तथ्य यह है कि अनियमित रूप से मंजूर ₹ 92.66 लाख के शुल्क क्रेडिट की वसूली हो या जारी किए गए वीकेजीयूवाई शेयरों के निरस्तीकरण के लिए, विभाग द्वारा समय पर कार्यवाही न करने से सरकार को हानि होने की पूरी संभावना है।

2.31 *डीजीएफटी दिल्ली ने बताया (फरवरी 2013) कि वसूली प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई थी।*

निर्यात दायित्व का पूरा नहीं किया जाना

क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारी (आरएलए), अहमदाबाद ने निर्यात दायित्व पूरे करने के लिए अयोग्य निर्यात गिने।

2.32 एफटीपी, 2009-14 के पैराग्राफ 5.5 (iv) के अनुसार ईपीसीजी योजना के अंतर्गत निर्यात भौतिक निर्यात होना चाहिए। तथापि, पैराग्राफ 8.2 (ए), (बी), (डी) (एफ), (जी) और (जे) में निर्दिष्ट डीम्ड निर्यात, निर्यात दायित्व को पूरा करने के प्रति गिना जाना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि "ईपीसीजी प्राधिकार धारकों को पूंजीगत माल की आपूर्ति " जैसा पैराग्राफ 8.2 (सी) अर्थात ईपीसीजी प्राधिकार धारकों को पूंजीगत माल की आपूर्ति के अंतर्गत दिया गया है, निर्यात दायित्व को पूरा करने के प्रति नहीं मानी जाएगी।

2.33 क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारी (आरएलए), अहमदाबाद ने मैसर्स एल्फा निप्पो इनोवेटिव लिमिटेड को तीन ईपीसीजी प्राधिकार जारी किए (मार्च से जून 2006); प्राधिकार धारक ने प्रतिदान के लिए इन तीनों ईपीसीजी प्राधिकार[10] को इकट्ठा करने के लिए आवेदन किया (अगस्त 2009) और तद्नुसार आरएलए ने ईपीसीजी प्राधिकार के लिए ₹ 50.77 लाख के औसत निर्यात निष्पादन (एईपी) और ₹ 9.64 करोड़ के नए विशिष्ट निर्यात दायित्व तय और इकट्ठा करने की अनुमति दी (अगस्त 2009)। प्राधिकार धारक द्वारा निर्यात दस्तावेजों को जमा कराने पर, मई 2010 में आरएलए द्वारा निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाणपत्र (ईओडीसी) जारी किया गया था। हमें प्रतिदान के लिए आवेदन पत्र के साथ जुड़े हुए सीए प्रमाणपत्र की संवीक्षा से पता चला कि प्राधिकार धारक ने 2006-07 में अन्य ईपीसीजी प्राधिकार धारकों[11] को माल की आपूर्ति द्वारा ₹ 6.59 करोड़ के डीम्ड निर्यात को प्रभावित किया। तथापि, प्राधिकार धारक द्वारा मार्च 2006 के प्राधिकार के प्रति विशिष्ट निर्यात दायित्व की पूर्ति के प्रति अन्य ईपीसीजी प्राधिकार धारकों को आपूर्ति किए गए माल (₹ 6.59 करोड़) के मूल्य में से ₹ 3.75 करोड़ की राशि का दावा किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.75 करोड़ के निर्यात दायित्व की पूर्ति में कमी हुई और वसूली के लिए समानुपातिक सीमाशुल्क की वसूली की जानी थी।

2.34 *डीजीएफटी, दिल्ली ने बताया (दिसम्बर 2012) कि प्रदान किया गया ईओडीसी निरस्त कर दिया गया था। हालांकि लाइसेंसधारक ने मार्च-जून 2014 अर्थात तीन लाइसेंसों की वैध अवधि तक निर्यात देयता पूरी कर सका। तथ्य यही है कि ईओडीसी को लेखापरीक्षा के हस्ताक्षेप के बाद ही निरस्त किया गया था।*

[10] प्राधिकार संख्या 0830001219, दिनांक 7.3.2006, 0830001273 दिनांक 17.4.2006 और 0830001353 दिनांक 13.6.2006

[11] मैसर्स इलेक्ट्रोथर्म (इन्डिया) लि. तथा 7 अन्य

स्पेशल इकोनॉमिक जोन (सेज)/एक्सपोर्ट ओरिएंटिड यूनिटस (ईओयूज)

कालातीत हुए डीएफआईए लाइसेंस के प्रति शुल्क की छूट

2.35 सेज नियम 2006 के 47(1) नियम के साथ पठित सेज अधिनियम 2005 की धारा 30 के अनुसार एक सेज के डीटीए से निकसित कोई माल सीमा शुल्क के वैसे भुगतान के योग्य है जैसा आयात लाइसेंस प्रस्तुत करते समय विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के प्रावधानों के अन्तर्गत माल पर उद्ग्राह्य होता है। इसके अलावा, शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण (डीएफआईए) के लिए आयात की वैधता अवधि 24 माह है [प्रकिया हैंडबुक (एचपीबी) वोल्यूम-। का पैराग्राफ-2.12 (i)] तथा निर्यात दायित्व अवधि (ईओपी) जोकि पहले 24 माह थी, जारी तिथि से 36 माह हो गई है (दिनांक 26 फरवरी 2009 के सार्वजनिक ज्ञापन (पीएन) 151 तथा पॉलिसी परिपत्र संख्या 80 तथा 86 (आरई-2008)/2004-2009 के साथ पठित एचपीबी वोल्यूम-। के पैराग्राफ 4.22)। मूल लाइसेंस प्राधिकारी धारक की प्रार्थना पर लाइसेंस प्राधिकरण आयात के लिए समाप्ति की तिथि से 6 माह की एक पुनःवैधीकरण अवधि को मंजूरी दे सकता हैं (एचबीपी के पैराग्रफ 4.23 तथा 4.65)।

2.36 मै. एक्सोटिका इंटरनेशनल कोलकाता एक डीटीए यूनिट ने मै. रोटो इंडिया तथा मै. एस आर इंटरप्राइजेज नाम की दो फाल्टा सेज इकाइयों से "सिल्क फेबरीक" के ₹ 3.17 करोड़ मूल्य के 10 प्रेषणों को मंजूरी दी (अगस्त 2010 तथा मार्च 2011 के बीच)। सीमाशुल्क के उपायुक्त, फाल्टा सेज ने विदेशी व्यापार, कोलकाता (आरएलए) के संयुक्त महानिदेशक द्वारा मार्च 2008 में जारी किए डीएफआईए लाइसेंस के प्रति ₹ 72.70 लाख की राशि के पूर्ण शुल्क भुगतान की छूट की अनुमति दी। हालांकि आयात के लिए डीएफआईए लाइसेंस के जारी होने से 24 माह तक की वैधता अगस्त 2010/मार्च 2011 में मिली मंजूरी से पहले ही मार्च 2010 में समाप्त हो चुकी थी तथा इसकी वैधता बढ़ाई नहीं गई थी। उपर्युक्त नीति परिपत्रों के अनुसरण में केवल ईओ अवधि 24 माह से 36 माह तक बढ़ाने के लिए आरएल द्वारा लाइसेंस में संशोधन किया (जुलाई 2010)। परन्तु सीमाशुल्क प्राधिकरण ने ईओ अवधि को आयात के लिए वैधता जो केवल 24 माह बनी रही, (मार्च 2010 तक) उसे गलती से ईओ की बढी सीमा 36 माह तक माना।

2.37 इस प्रकार, कालातीत डीएफआईए लाइसेंस के प्रति ₹ 72.70 लाख की राशि पर शुल्क छूट का लाभ उठाना अनियमित था तथा यह डीटीए यूनिट से ब्याज सहित वसूली योग्य था।

2.38 फाल्टा सेज, सीमाशुल्क के अधीक्षक ने बताया (जून 2012) कि उन्होंने फर्म को यह पूछते हुए लिखा हैं कि उनसे शुल्क की छूट की राशि वापिस क्यों नहीं लेनी चाहिए, जबकि उन्होंने बताई गई लाइसेंस की वैधता के प्रमाण के रूप में आरएलए से निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाणपत्र (ईओडीसी) जमा नहीं कराया था।

2.39 लेखापरीक्षा निष्कर्ष के उत्तर में फाल्टा सेज प्राधिकरण की कार्यवाही तथ्य के इस संदर्भ में है कि आरएलए द्वारा ईओडीसी प्रस्तुत करने का इस मामलें में कोई संबंघ

नहीं है, क्योंकि इसकी प्रस्तुति फर्म के कालातीत लाइसेंस के प्रति आयात पर ब्याज तथा शुल्क का भुगतान करने के अपने दायित्व से दोषमुक्त नहीं करेगी। अतः, विभाग को आरएलए से ईओडीसी के लिए इंतजार करने के बजाय तुरन्त वसूली कार्यवाही शुरू करनी चाहिए, क्योंकि इसकी प्रस्तुति को वैध छूट में नहीं बदला जाएगा। विभाग को अगस्त 2012 में इसके बारे में बता दिया गया था, कि उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (मार्च 2013)।

डीटीए निकासी पर उत्पादन शुल्क का कम उद्ग्रहण

केन्द्रीय उत्पाद कमीशनरी पुणे-III ने निर्यात उत्पाद पर अधिक डीटीए निकासियों की अनुमति दी ।

2.40 यथा संशोधित विदेशी व्यापार पॉलिसी (एफटीपी), 2008-09 का पैराग्राफ 6.8 (ए) नियत करता है कि एक ईओयू सकारात्मक निवल विदेशी विनिमय (एनएफई) को पूरा करने के अध्यधीन शुल्क की रियायती दर पर अपने निर्यात के 50 प्रतिशत मूल्य तक माल घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) में बेच सकता है। इसके अतिरिक्त विनियमित करता है कि यूनिटें जो एक से अधिक उत्पाद का विनिर्माण और निर्यात कर रही हैं इस शर्त के अधीन कि कुल डीटीए बिक्री निर्यातों के एफओबी मूल्य समग्र पात्रता 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो विशेष उत्पादों के निर्यात के एफओबी मूल्य का 75 प्रतिशत (2009-10 से 90 प्रतिशत) तक इनमें से किसी उत्पादों को डीटीए को बिक्री कर सकती हैं।

2.41 विकास आयुक्त, एसईईपीजेड, एसईपीजेड ने थोक दवाओं" के विनिर्माण और निर्यात करने के लिए पूणे III कमिश्नरी में मै. सिप्ला लि, (यूनिट-I), को फरवरी 2004 में अनुमति पत्र (एलओपी) जारी किया। अधिसूचना सं. 23/2003 के.उ. दिनांक 31 मार्च 2003 के अंतर्गत शुल्क के रियायती दर पर डीटीए में वर्ष 2009-10 के दौरान दो थोक दवाओं नामतः ₹ 3.34 करोड़ मूल्य के "फ्लुकोनाजोल" और ₹ 6.76 लाख के मूल्य का "ग्लेटिरामर एसेटेट" की निकासी की अनुमति दी थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2009-10 के दौरान निर्यात किए गए फ्लुकोनाजोल और ग्लेटिरामर का एफओबी मूल्य क्रमशः ₹ 93.55 लाख और ₹ 6.75 लाख था। उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार कथित उत्पादों की अनुमति इन मदों के निर्यात को एफओबी मूल्य के 90 प्रतिशत तक सीमित होना चाहिए चूँकि यूनिट ने डीटीए में इस माल के एफओबी मूल्य के 90 प्रतिशत से अधिक की निकासी की थी, इसलिए, शुल्क की रियायती दर पर अनुमति अनियमित थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 10.20 लाख की कम उगाही हुई।

2.42 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, पुणे III कमिश्नरी के प्राधिकारियों ने निष्कर्ष का विरोध किया और कहा (मार्च 2012) कि इन थोक दवाओं का विनिर्माण जारी किए गए एलओपी के अनुसार किया गया था और निर्धारिती स्थिति धारक है और शुल्क के रियायती दर पर डीटीए बिक्री की अनुमति के लिए विकास आयुक्त (डीसी) को सूचित किया था। उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों ने आगे कहा कि 2009-10 और 2010-11 के दौरान इन विशेष उत्पादों की डीटए बिक्री का कुल मूल्य थोक दवाओं के एफओबी

मूल्य के 50 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के अंदर था। हालांकि विभाग ने यह भी कहा कि 2009-10 से 2011-12 की अवधि के लिए ₹ 42.90 लाख का विभेदक शुल्क वसूल किया जाना था और सुरक्षात्मक माँग ज्ञापन जारी करने के लिए प्रक्रिया के अधीन है।

2.43 विभाग के जवाब पर इस तथ्य के मद्देनजर विचार किया जाना है कि लेखापरीक्षा उनके एफओबी मूल्य के 50 प्रतिशत के अंदर डीटीए में इन दवाओं की अनुमति के लिए नहीं बल्कि विशेष उत्पादों के निर्यात का एफओबी मूल्य की 90 प्रतिशत की निर्धारित सीमा से अधिक में विशेष दवाओं की अनुमत पर आपत्ति उठा रही है ।

2.44 मामला, मंत्रालय को सूचित किया गया था (अक्तूबर 2012); उनसे जवाब प्राप्त नहीं हुआ था (मार्च 2013)।

2.45 विकास आयुक्त, एसईईपीजेड, मुम्बई ने रसायनों नामतः "अल्फा/बिटा आईनोन, सिट्रानेल्लोल, सिट्रानेल्लल आदि " के विनिर्माण और निर्यात करने के लिए मै. प्रिवि अर्गेनिक लि. को स्वीकृति पत्र (एलओपी) की मंजूरी दी (नवम्बर 2006)। यूनिट ने शुल्क के रियायती दर पर ₹ 5.74 करोड़ (2008-09) और ₹ 6.62 करोड़ (2009-10) मूल्य के सिट्रानेल्लोल और सिट्रानेल्लल मदों की डीटीए बिक्री की। लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान इन मदों के निर्यात का एफओबी मूल्य क्रमशः ₹ 2.23 करोड़, और ₹ 2.60 करोड़ था। तद्नुसार, यूनिट संबंधित वर्षों में इन मदों के निर्यात के एफओबी मूल्य की क्रमशः 75 प्रतिशत और 90 प्रतिशत तक डीटीए बिक्री करने के लिए पात्र थी लेकिन उन्होंने 257 से 255 प्रतिशत तक निर्यात किया। डीटीए बिक्री को सीमित न करने के परिणामस्वरूप ₹ 35.89 लाख के शुल्क की कम उगाही हुई।

2.46 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों, महद डिविजन ने कहा (अगस्त 2011) कि सिट्रानेल्लोल अल्कोहल ग्रुप से संबंधित है जबकि सिट्रानेल्लल अल्डेहाड्स ग्रुप से संबंधित है और चूंकि यूनिट समान प्रकृति के अल्कोहल और अल्डेहायड्स का विनिर्माण कर रही थी, इसलिए एक ग्रुप के अंतर्गत डीटीए की निकासी की अनुमति लेने की आवश्यकता थी। केन्द्रीय उत्पादशुल्क प्राधिकारियों ने यह भी कहा कि सिट्रोनेल्लोल जैसा उत्पाद उनके द्वारा विनिर्मित कई अल्कोहलों में से एक है जिसके लक्षण और उपयोग समान है और इसलिए इसे एक साथ समूहीकृत किया जाना चाहिए और समान माल के रूप मानना चाहिए। इसके अतिरिक्त, विभाग ने कहा कि अल्कोहलों के अंतर्गत डीटीए की बिक्री प्रतिशतता 49.66 थी और अल्डेहायड्स के अंतर्गत 2007-08 से 2009-10 के दौरान डीटीए बिक्री की प्रतिशतता 88.20 प्रतिशत थी और वह निर्धारित मापदण्ड के अंदर थी।

2.47 विभाग के जवाब पर इस तथ्य के मद्देनजर विचार किया जाना है कि एलओपी ने विनिर्माण और निर्यात करने वाले उत्पादों को विनिर्दिष्ट किया था जबकि "सिट्रोनेल्लोल और सिट्रोनेल्लल " को पृथक उत्पादों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया था।

लेखापरीक्षा एफओबी मूल्य के 50 प्रतिशत के अंदर डीटीए में इन समान रसायनों की निकासी पर नहीं बल्कि इस विशेष उत्पादों के निर्यात की एफओबी मूल्य की 75/90 प्रतिशत की निर्धारित सीमा से अधिक विशिष्ट रसायनों की अनुमति पर आपत्ति कर रही है। मंत्रालय से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ था (मार्च 2013)।